

उत्तर प्रदेश शासन
राज्य कर अनुभाग-4
संख्या-238/11-4-2025/1005007
लखनऊ दिनांक 03 मई, 2025

विज्ञापित/विविध

उपरोक्त मूल्य संवर्धित कर निगमावली 2008 के निगम-3 के उप निगम- 1 (क) के अधीन प्रस्तुत अधिकारों का प्रयोग करते हुए राज्यपाल अधिसूचना संख्या क०नि०-4-1978/11-2008-400(73)/91 दिनांक 13.08.2018 में निम्नवत् संशोधन करती हैं, अर्थात्-

1. मूल अधिसूचना की तालिका की प्रविष्टि संख्या-01 के स्तम्भ संख्या-4 में अंकित प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टि रख दी जायेगी,
अर्थात्: " खण्ड-1 से खण्ड-7 गाजियाबाद/गोदीनगर/कापौरिट सर्किल प्रथम गाजियाबाद/वि० अनु०शा० रेन्ज ए गाजियाबाद/सचल दल इकाई-1, 2 एवं 3 गाजियाबाद।"
2. मूल अधिसूचना की तालिका की प्रविष्टि संख्या-02 के स्तम्भ संख्या-4 में अंकित प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टि रख दी जायेगी,
अर्थात्:- "खण्ड-8 से खण्ड-12 गाजियाबाद/खण्ड-1 से खण्ड-4 सपुड/वि०अनु०शा० रेन्ज बी गाजियाबाद/सचल दल इकाई-4, 5 एवं 6 गाजियाबाद।"
3. मूल अधिसूचना की तालिका की प्रविष्टि संख्या-03 विलोपित की जायेगी।
4. मूल अधिसूचना की तालिका की प्रविष्टि संख्या-24 के स्तम्भ संख्या-4 में अंकित प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टि रख दी जायेगी,
अर्थात्:- "खण्ड-8 , खण्ड-10 एवं खण्ड-11 नोएडा/वि० अनु०शा० रेन्ज ए नोएडा/सचल दल इकाई-1 नोएडा।"
5. मूल अधिसूचना की तालिका की प्रविष्टि संख्या 25 के स्तम्भ संख्या-4 में अंकित प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टि रख दी जायेगी,
अर्थात्:- "खण्ड-1 एवं खण्ड-3 गौतमबुद्धनगर/कापौरिट रेन्ज बी नोएडा/वि०अनु०शा० रेन्ज बी नोएडा/सचल दल इकाई-4 नोएडा।"
6. मूल अधिसूचना की तालिका की प्रविष्टि संख्या 26 के स्तम्भ संख्या-4 में अंकित प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टि रख दी जायेगी,
अर्थात्: - "खण्ड-12, खण्ड-13 एवं खण्ड-14 नोएडा/सचल दल इकाई-5 व 6 नोएडा।"
7. मूल अधिसूचना की तालिका की प्रविष्टि संख्या-26 के पश्चात निम्नलिखित प्रविष्टि जोड़ दी जायेगी, अर्थात्:-

26 क	अपील गौतमबुद्धनगर	चतुर्थ	खण्ड-1 , खण्ड-2 , खण्ड-3 , खण्ड-4 एवं खण्ड-5 नोएडा / सचल दल इकाई-2 नोएडा/कार्पोरेट रेन्ज ए नोएडा।
26 ख	अपील गौतमबुद्धनगर	पंचम	खण्ड-6 , खण्ड-7 एवं खण्ड-9 नोएडा/गौतमबुद्धनगर खण्ड-2/सचल दल इकाई-3 नोएडा।

8. मूल अधिसूचना की तालिका की प्रविष्टि संख्या 54 के स्तम्भ संख्या-4 में अंकित प्रविष्टि के पश्चात निम्नलिखित प्रविष्टि रख दी जायेगी,
अर्थात: "झोंसी मण्डल खण्ड-1 से 4 तक ललितपुर के सभी खण्ड एवं इन खण्डों/मण्डलों के क्षेत्राधिकार में स्थित सचल दल/वि०अनु०शा०/सहायता केन्द्र यदि कोई हो।"

9. मूल अधिसूचना की तालिका की प्रविष्टि संख्या-55 विलोपित की जायेगी।
यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा।

Signed by
(प्रम० देवराज)
M Devaraj
प्रमुख सचिव।
Date: 03-05-2025 10:19:24

संख्या-238 (1)/11-4-2025/1895067 तद्विनांक ।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. आयुक्त राज्य कर उ०प्र० लखनऊ।
2. अध्यक्ष वाणिज्य कर अधिकरण उ०प्र० लखनऊ।
3. समस्त अपर आयुक्त ग्रेड-1/2 राज्य कर उ०प्र० द्वारा आयुक्त राज्य कर उ०प्र० लखनऊ।
4. समस्त संयुक्त आयुक्त/उपायुक्त/सहायक आयुक्त राज्य कर उ०प्र० द्वारा आयुक्त राज्य कर उ०प्र० लखनऊ।
5. राज्य कर अनुभाग-1,2,3 व 51
6. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(कृतिका ज्योत्स्ना)

विशेष सचिव
Jyotsna

Date: 03-05-2025 10:40:38